"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]	रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018—वैशाख 28, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2018

क्रमांक ई-1-7/2017/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/28/2011-एआईएस (I) दिनांक 21-03-2013 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (बी.एच. : 2001) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष के लिये सौंपी गई थी. श्री वरवड़े द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में दिनांक 22-04-2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया.

2. अतएव श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 21-04-2018 को समाप्त होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (बिहार सरकार) को दिनांक 21-04-2018 (अपरान्ह) से वापस लौटाई जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्रमांक ई-1-09-2018/एक-2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2017 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री आकाश छिकारा	सहायक कलेक्टर, जिला-सरगुजा
2.	श्री चंद्रकांत वर्मा	सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर
3.	श्री कुणाल दुदावत	सहायक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर
4.	श्री मयंक चतुर्वेदी	सहायक कलेक्टर, जिला-रायगढ़
5.	श्री रोहित व्यास	सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक ई-1-22/2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 आबंटन वर्ष के श्री के. डी. पी. राव, भाप्रसे की 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, उपलब्ध रिक्त पद पर छानबीन समिति (Screening Committee) की बैठक दिनांक 24-04-2018 में की गई अनुशंसा अनुसार, सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) रु. 80000/- (निश्चित) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-17) में तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005) संचालक, जनसंपर्क तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद एवं विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग (स्वतंत्र प्रभार) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), जनसंपर्क विभाग पदस्थ करते हुए आयुक्त, जनसंपर्क एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से. (2008), सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, जनसंपर्क के पद पर पदस्थ करता है.

श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, जनसंपर्क के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ करता है.

श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (2011), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अतिरिक्त प्रभार अपर विकास आयुक्त, कार्यालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्रीमती पुष्पा साहू, भा.प्र.से. (2012), उप सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012) उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, श्रम विभाग को केवल उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मई 2018

क्रमांक एफ 5-38/2015/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-7-2017 द्वारा जगदलपुर विकास योजना 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

जगदलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	नजूल शीट क्रमांक/प्लाट क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जगदलपुर शहर	शीट क्रमांक 33 प्लाट क्रमांक 1/3	—	0.007	प्रस्तावित वाणिज्यिक	प्रस्तावित मार्ग
2.		शीट क्रमांक 32 प्लाट क्रमांक 10	—	0.243	वर्तमान आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
3.		शीट क्रमांक 32 प्लाट क्रमांक 9	—	0.259	वर्तमान आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
4.		शीट क्रमांक 32 प्लाट क्रमांक 2	—	0.672	वर्तमान आवासीय	प्रस्तावित मार्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.		शीट क्रमांक 32 प्लाट क्रमांक 1	—	0.137	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
6.		शीट क्रमांक 31 प्लाट क्रमांक 1/1, 2, 3	—	0.113	वर्तमान आवासीय	वर्तमान निर्मित मार्ग
7.		शीट क्रमांक 31 प्लाट क्रमांक 1/1, 2, 3	—	0.020	वृक्षारोपण	वर्तमान निर्मित मार्ग
8.		शीट क्रमांक 45 प्लाट क्रमांक 1/2	—	0.022	तालाब	वर्तमान निर्मित मार्ग
9.		शीट क्रमांक 45 प्लाट क्रमांक 1/2	—	0.870	वर्तमान आवासीय	वर्तमान निर्मित मार्ग
10.		शीट क्रमांक 45 प्लाट क्रमांक 1/2	—	0.088	वृक्षारोपण	वर्तमान निर्मित मार्ग
11.		शीट क्रमांक 45 प्लाट क्रमांक 4/2	—	0.162	वर्तमान आवासीय	वर्तमान निर्मित मार्ग
12.		शीट क्रमांक 45 प्लाट क्रमांक 4/1	—	0.041	वर्तमान आवासीय	वर्तमान निर्मित मार्ग
13.		शीट क्रमांक 45 प्लाट क्रमांक 4/1	—	0.147	वृक्षारोपण	वर्तमान निर्मित मार्ग
14.		शीट क्रमांक 45 प्लाट क्रमांक 1	—	0.943	कृषि	वर्तमान निर्मित मार्ग
15.		शीट क्रमांक 59 प्लाट क्रमांक 1	—	0.226	तालाब	वर्तमान निर्मित मार्ग
16.	जगदलपुर देहात	—	88	0.007	वर्तमान आवासीय	वर्तमान निर्मित मार्ग
17.		—	87	0.111	वर्तमान आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
18.		—	93	0.007	वर्तमान आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
19.		—	91	0.022	वर्तमान आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
20.		—	97	0.040	वर्तमान आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
21		—	87	0.111	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
22.		—	94	0.022	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.		—	93	0.003	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
24.		—	97	0.055	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग
25.		—	97	0.055	प्रस्तावित वाणिज्यिक	प्रस्तावित मार्ग

2. उक्त उपांतरण जगदलपुर विकास योजना 2001 में प्रस्तावित मार्ग को यथावत रखे जाने हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने हेतु सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई. आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई उपरांत शासन द्वारा प्रस्तावित उपांतरण पर समग्र परिस्थितियों पर विचार करने हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 21-2-2018 द्वारा कलेक्टर, बस्तर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया.

4. शासन द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन दिनांक 21-3-2018 पर विचार करने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को अमान्य करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जगदलपुर विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण जगदलपुर विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2018

क्रमांक 579/1680/2010/स्था./चार—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—
पैराग्राफ (ङ) में, सरल क्रमांक 15 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"16. जिला पंचायत राज निधि."

No. 579/1680/2010/Estt./IV—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 21 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Schedule of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Adhiniyam,—
In Paragraph (E), after serial number 15, the following shall be added, namely :—

"16. Zila Panchayat Raj Nidhi."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 1-73/2015/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03-04-2018 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित ग्रंथपालों की पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 5 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित ग्रंथपाल का नाम	पदरस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	11	शशि ब्रजपुरिया	शास.पॉली. बीजापुर	शास.पॉली. भाटापारा
2.	10	श्री राधेश्याम	शास.पॉली. नारायणपुर	शास.पॉली. बेरला
3.	19	मोनिका अवधिया	शास.पॉली. कोरबा	शास.सहशिक्षा पॉली. रायपुर

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मई 2018

क्रमांक एफ 3-07/2018/गृह-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1938 के अध्याय II की धारा 9(2) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर में ग्राम धरमपुरा, प.ह.नं. 78/54, रा.नि.मं. रायपुर-1, तहसील एवं जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नं. 304/1 रकबा 3.033 हे. जिसके भाग पर लगभग 0.202 हेक्टेयर भूमि को फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 7-26/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक श्रीवास्तव, (भापुसे-2006), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को दिनांक 23 अप्रैल 2018 से दिनांक 05 मई 2018 (कुल 13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 अप्रैल एवं 06 मई 2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मयंक श्रीवास्तव (भापुसे-2006), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा का चालू प्रभार श्री कीर्तन राठौर, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित सफाई कर्मकार विवाह योजना बाबत् अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 की कंडिका 3(3.1) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :—

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के 06 माह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना बाबत् अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2015/16, दिनांक 11-03-2015 की कंडिका 3 (3.1) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :—

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के 06 माह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-2/2018/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना बाबत् अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2018/16, दिनांक 27-01-2018 की कंडिका (अ)(3) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

3. इस योजना के अंतर्गत असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत नाई को 1500/- रुपये तक की सामग्री-कैची,स्ट्रेट रेजर, कंघी, हेयर कटिंग केप, वाटर स्प्रे बॉटल एवं शेविंग ब्रश प्रदाय की जावेगी.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-19/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना बाबत् अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2017/16, दिनांक 10-01-2018 की कंडिका (अ)(3) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

3. इस योजना के अंतर्गत असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत धोबी को 1500/- रुपये तक की सामग्री-इलेक्ट्रानिक/कोयला आयरन, क्लाथ्स पिन, वाशिंग पैडल (थप्पी/कुटेला) प्रदाय की जावेगी.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्रमांक/3111/एफ-8/99/PMFBY/2016/14-2.—खरीफ 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 4211/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2 दिनांक 24-05-2017 के परिशिष्ट-5 क्रॉप कैलेण्डर में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त क्रॉप कैलेण्डर में फसल अरहर स्तंभ के कटाई की पंक्ति में अंकित अवधि "25 दिसम्बर से 25 जनवरी" तक के स्थान पर "25 दिसम्बर से फरवरी माह के अंत तक" पढ़ा जावें.

पूर्व में जारी अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महासमुंद	महासमुंद	श्री हेमंत कुमार रात्रे, जेएमएफसी, महासमुंद
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	कु. पारूल श्रीवास्तव जेएमएफसी, बलौदाबाजार

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal magistrate), mentioned in the column 4 as chairperson and social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column no. 3

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mahasamund	Mahasamund	Shri Hemant Kumar Ratre, JMFC, Mahasamund.
2.	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	Ku. Parul Shrivastava, JMFC, Baloda-Bazar.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :—

तालिका

स. क्र.	जिले का नाम नाम	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोरबा	श्रीमती मधु पाण्डे	-
2.	बलरामपुर	श्री अनिल कुमार गुप्ता	1. श्री कमाल अहमद
			2. श्रीमती रंजिता गुप्ता
3.	कोरिया	-	श्री आदिल रशीद खान
4.	बीजापुर	श्रीमती मिली सत्यन	श्रीमती नीलाबाई यालम
5.	नारायणपुर	श्री कृष्णाराम कोर्राम	1. श्रीमती एन. के आजाद
			2. श्री प्रमोद कुमार पोटाई
6.	कोण्डागांव	श्री नरपतिराम पटेल	1. श्री जयप्रकाश यादव
			2. श्रीमती प्रतिभा मिश्रा
			3. श्री संतोष सिंह ठाकुर
7.	सुकमा	श्री जगदीश कनौजिया	1. श्री अनिल कुमार मल्ल
			2. श्री हरीश कुमार पटेल
			3. श्री रामकुमार पटेल
8.	मुंगेली	-	श्री शेख मोहम्मद शमीम
9.	कांकेर	-	श्री बसंत कुमार ठाकुर
10.	धमतरी	-	डॉ. भारती नायडू (राव)
11.	रायपुर	-	श्रीमती प्रतिमा सिंह चंदेल

(1) यह चयन सूची, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजों के अनुसार तैयार की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, चयन समिति को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

(2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी.

(3) यह समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(4) समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी.

(5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

(6) सरल क्रमांक 5 के अतिरिक्त, समिति के अध्यक्ष/सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे.

(7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगे.

(8) यदि चयनित सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा.

No. F 7-5/2012/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee constituted for selection of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee, the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (3) and (4) of the table mentioned below as Chairperson/Members respectively in the Child Welfare Committee of the corresponding District mentioned in column number (2), subject to the conditions mentioned below, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of the District (2)	Name of the Chairperson of the Child Welfare Committee (3)	Name of the Member of the Child Welfare Committee (4)
1.	Korba	Smt. Madhu Pandey	-
2.	Balrampur	Shri Anil Kumar Gupta	1. Shri Kamal Ahmad 2. Smt. Ranjita Gupta
3.	Koriya	-	Shri Aadil Rashid Khan
4.	Bijapur	Smt. Mili Satyan	Smt. Nilabai Yalam
5.	Narayanpur	Shri Krishnaram Korram	1. Smt. N. K. Aazad 2. Shri Pramod Kumar Potai
6.	Kondagaon	Shri Narpatiram Patel	1. Shri Jayprakash Yadav 2. Smt. Pratima Mishra 3. Shri Santosh Singh Thakur
7.	Sukma	Shri Jagdish Kannaujiya	1. Shri Anil Kumar Mall 2. Shri Harish Kumar Patel 3. Shri Ramkumar Patel
8.	Mungeli	-	Shri Shekh Mohamad Shamim
9.	Kanker	-	Shri Basant Kumar Thakur
10.	Dhamtari	-	Dr. Bharti Naydu (Rao)
11.	Raipur	-	Smt. Pratima Singh Chandel

(1) This Selection list is prepared according to the application and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, Selection Committee shall have the rights to cancel the selection of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.

(2) The term of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.

(3) This Committee shall hold its meetings as per sub-section (1) of Section 28 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), in which presence of Chairperson/members on the prescribed date/time shall be mandatory.

(4) The Committee shall hold its meetings in the premises of the Children Home or at any place decided by the District Child Protection Committee.

(5) Appointment of the Members of the Child Welfare committee may be terminated in accordance with the provisions of sub-Section (7) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).

(6) Besides serial no. 5 Chairperson/Members of the Committee may resign at any time by giving one month's notice.

(7) Committee shall function for the welfare and protection of the children in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

(8) If the selected member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.

नया रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में, सामाजिक सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात् :—

तालिका

स.क्र. (1)	जिले का नाम (2)	किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य (3)
1.	रायगढ़	1. श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल 2. श्रीमती शारदा मूलिक
2.	बलरामपुर	श्री प्रमोद कुमार कश्यप
3.	बस्तर	श्रीमती पी ज्योति नायडू
4.	बीजापुर	श्री नरेन्द्र बुरका
5.	नारायणपुर	कु. मलनी बघेल
6.	सुकमा	1. श्रीमती जेमा कनौजिया 2. श्री जे. एल. मौर्य
7.	कवर्धा	श्रीमती मधु भट्ट

(1) यह चयन सूची, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेंजों के अनुसार तैयार की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, चयन समिति को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

(2) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी.

(3) बोर्ड, संप्रेक्षण गृह के परिसर में अथवा या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(4) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा-4 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

(5) सरल क्रमांक (4) के अतिरिक्त, समिति के सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे.

(6) चयनित सदस्य, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगे.

(7) यदि चयनित सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में हैं, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान व्यवसाय/सेवा का कार्य स्थगित करना होगा.

(8) किशोर न्याय बोर्ड में चयनित अधिवक्ता, बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टीस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा.

No. F 7-5/2012/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Childeren) Act. 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee, the State Government hereby appoints the following person mentioned in column (3) of the table mentioned below in the Juvenile Justice Board of the corresponding District mentioned in column number (2) as Social Members, subject to the conditions mentioned below namely :—

TABLE

S.No.	Name of the District	Name of the Social Member of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)
1.	Raigarh	1. Shri Laxmi Prasad Patel 2. Smt. Sharda Mulik
2.	Balrampur	Shri Pramod Kumar Kshyap
3.	Bastar	Smt. P. Jyoti Naydu
4.	Bijapur	Shri Narendra Burka
5.	Narayanpur	Ku. Malni Baghel
6.	Sukma	1. Smt. Jema Kannaujiya 2. Shri J. L. Maurya
7.	Kawardha	Smt. Madhu Bhatt

(1) This Selection list is prepared according to the application and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level. Selection Committee shall have the rights to cancel the selection of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.

(2) The term of the Members of the Juvenile Justice Board shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.

(3) The Board shall hold its meetings in the premises of the Observation Home or at any place decided by the District Child Protection Committee, in which presence of the Members on the prescribed date/time shall be mandatory.

(4) Appointment of the Members of the Juvenile Justice Board may be terminated in accordance with the provision of sub-Section (7) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).

(5) Besides serial no. 4, members of the Board may resign at any time by giving one month's notice.

(6) Selected member shall function according to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

(7) If the selected member is in a profession/service which can affect his work as a member of the Juvenile Justice Board then he shall have to postpone his work of existing profession/service.

(8) Advocates selected in the Juvenile Jusice Board, shall not be able to practice during his/her tenure in the Board and for this they shall have to get their registration/license suspended from the Chhattisgarh State Bar Council for the period of their tenure in Juvenile Justice Board and they have to provide the relevant documents in this regard to the department.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 1-12/2015/10-भा.व.से.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16-02-2016 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 (2) के परन्तुक एवं भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 11 (7) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् 02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के निम्नानुसार संवर्गीय पद 02 वर्षों के लिये पद एवं प्रतिष्ठा में वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर स्वीकृत किया गया है :—

(i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु, परिवर्तन तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (PCCF (Research, Training and Climate Change) and Director, State Forest Research and Training Institute.)

(ii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर (PCCF (Medicinal Plants and Traditional Forestry Knowledge) and Chief Executive Officer State Medicinal Plant Board.)

2. उक्त पदों की निरंतरता आगामी 01 वर्ष के लिये जारी रखने के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/16017/10/2014-IFS. II, दिनांक 10-04-2018 द्वारा सहमति दी गई है.

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त 02 पदों की निरंतरता आगामी 01 वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक 16-02-2019 तक स्वीकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 3 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/5655/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	मुरली	4.875 हेक्ट.	मसूरिहा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-04-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन मुरली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	मसूरिहा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	22 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 686.59 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से कृषि क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा प्रदान किया जावेगा. परियोजना से कुल 02 ग्राम लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से कुल 02 ग्राम में खरीफ सिंचाई सुविधा प्रदाय की जावेगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 3 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक/5659/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पाली	कुटेलामुड़ा	0.25 एकड़	रजकम्मा एनिकट निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12-04-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान पंचायत भवन कुटेलामुड़ा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — रजकम्मा एनिकट निर्माण हेतु.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 05 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 05 परिवार
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 238.25 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — परियोजना से कृषि क्षेत्र में कृषकों के स्वयं के साधन से खरीफ एवं रबी सिंचाई सुविधा प्रदान किया जावेगा. जल संवर्धन एवं ग्रामीण के निस्तार हेतु उपयोग किया जावेगा. परियोजना से कुल 01 ग्राम लाभान्वित होंगे.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — परियोजना से कुल 01 ग्राम में खरीफ सिंचाई सुविधा प्रदाय की जावेगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 6 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/5955/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	कापूबहरा	2.550 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजनांतर्गत दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-4-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, सुतर्रा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — कटघोरा व्यपवर्तन योजना में दायीं तट नहर निर्माण के लिए अर्जित होने पर.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 33 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 33 परिवार
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — 66 नग पेड़
5. प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 5607.66 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3980/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	दुर्रेटोला, प.ह.नं. 27/ कृषकों की संख्या 01	0.121 हेक्टे.	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 09-06-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन पीपरखार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई रकबे में वृद्धि
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होन वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 27 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3982/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	विचारपुर, प.ह.नं. 4/ कृषकों की संख्या 02	0.708 हेक्टे.	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 20-06-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन विचारपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव के मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डूबान निर्माण में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंचाई रकबे में वृद्धि
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 27 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3985/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	बरारमुंडी, प.ह.नं. 19/ कृषकों की संख्या 03	0.403 हेक्टे.	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 19-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन आटरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन तथा परिवहन में सुगमता, बारहमासी मार्ग की उपलब्धता.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 5 मई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4222/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	मानपुर	सहपाल, प.ह.नं. 19/ कृषकों की संख्या 01	0.465 हेक्टे.	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के बसेली-सहपाल मार्ग पर स्थित भूरके नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 04-06-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम सहपाल पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के बसेली-सहपाल मार्ग पर स्थित भुरके नदी पर उच्च-स्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन तथा परिवहन में सुगमता, बारहमासी मार्ग की उपलब्धता.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 5 मई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4260/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	मोहला	बागदो, प.ह.नं. 24/ कृषकों की संख्या 08	0.196 हेक्टे.	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के ककईपार-बागदो मार्ग पर खरखरा नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, बागदो पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण), राजनांदगांव के ककईपार-बागदो मार्ग पर खरखरा नदी पर उच्च-स्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छ:)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन तथा परिवहन में सुगमता, बारहमासी मार्ग की उपलब्धता.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 5 मई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4275/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	मानपुर	मानपुर, प.ह.नं. 16/ कृषकों की संख्या 01	0.607 हेक्टे.	पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव के द्वारा मानपुर थाना परिसर के विस्तार हेतु प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30-05-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, मानपुर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव के द्वारा मानपुर थाना परिसर के विस्तार हेतु प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	थाना मानपुर की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हेतु
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	भैयाथान	जूर प.ह.नं.-9	4.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	नवगई व्यपवर्तन योजना नहर नाली निर्माण ग्राम जूर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. देवसेनापति, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मार्च 2018

क्रमांक 03/अ-82/2014-15/4605/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सरखों प.ह.नं. 49	0.081	कार्यपालन अभियंता, (सिं) भू-अर्जन संभाग 2×500 में. वा.ता. वि.परि. मड़वा-तेन्दूभाठा (छ.ग.).	राखड़ पाईप लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 20 मार्च 2018

क्रमांक 07/अ-82/2014-15/4607/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	औराईकला प.ह.नं. 38	0.061	कार्यपालन अभियंता, (सिं) भू-अर्जन संभाग 2×500 में. वा.ता. वि.परि. मड़वा-तेन्दूभाठा (छ.ग.).	राखड़ पाईप लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रूचिदा प.ह.नं.-18	0.651	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केलो पुटकापुरी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुटकापुरी प.ह.नं.-16	0.597	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केलो धनगांव माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	घनातराई प.ह.नं.-12	0.737	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर के अंतर्गत मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुटकापुरी प.ह.नं.-16	1.827	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केलो पुटकापुरी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	दनौट प.ह.नं.-32	1.356	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जामपाली	1.739	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत जामपाली माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सुर्री	2.420	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत जामपाली माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	धनगांव प.ह.नं. 17	2.137	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अस्थायी मुख्यालय खरसिया जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत धनगांव माईनर 2 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नावापारा प.ह.नं. 17	2.390	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत धनगांव-1 माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ–82/2017–18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	दाउभठली प.ह.नं. 12	0.352	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के शारदा वितरक नहर के अंतर्गत मल्दा लघु नहर निर्माण हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ–82/2017–18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरमुड़ा प.ह.नं. 01	1.031	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन सजंय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2018

क्रमांक 22/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुंआ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.766 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120/1	0.040
120/2	0.129
236/1	0.073
229	0.093
230	0.073
225/1	0.138
333/2	0.045
328/2	0.016
328/1	0.077
333/4	0.024
333/1	0.008
333/3	0.004
328/3	0.049
325/1, 325/3	0.093
322	0.065
320	0.081
321/1	0.065
317	0.032
313	0.085
635/3	0.089
312	0.085
311/1	0.105
642	0.097
643/2	0.089
616/1	0.032
613/3	0.049
643/3	0.097
636/1	0.065
612	0.134
608	0.020
603/4	0.081
600/1	0.012
601	0.134
599/1	0.065
598/1	0.008
590/1	0.073
611/2	0.012
616/6	0.065
592	0.109
593	0.134
600/2	0.202
613/1	0.040
616/4	0.040
615	0.040
590/3	0.089
511/1	0.069
511/2	0.028
511/4	0.085
510/9	0.121
510/8	0.040
510/3	0.008
510/6	0.150
510/4	0.012
507/2	0.097
योग 55	3.766

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2018

क्रमांक 38/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पथराली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.458 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	64/1	0.032
	67/2	0.032
	63	0.028
	88/3	0.012
	89/4	0.016
	107/8	0.045
	89/6, 89/7	0.089
	105	0.008
	123/1	0.113
	89/2, 89/3	0.004
	121/1	0.145
	117/5	0.045
	106	0.032
	107/7	0.049
	107/2	0.073
	107/5	0.101
	107/11	0.004
	107/6	0.049
	121/2	0.065
	117/14	0.065
	117/38	0.081
	117/31	0.040
	117/20	0.133
	117/8	0.028
	(1)	(2)
	117/19	0.012
	114/1	0.012
	117/17	0.145
योग	29	1.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2018

क्रमांक 52/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-निरतु
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.173 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
316	0.101
329	0.077
337	0.024
353/2 ख	0.024
339/2	0.036
340/1	0.024
455	0.049
340/3, 340/4	0.045
353/2 ग	0.032
359/2	0.020

(1)	(2)
358/2	0.040
353/2 क	0.028
353/1 ख	0.012
353/1 क	0.004
359/1	0.028
358/1	0.045
441, 440	0.045
439	0.024
444/1	0.024
444/2	0.024
456	0.024
454	0.057
468	0.089
469	0.032
1175	0.024
1656/1	0.081
1656/2	0.032
1657/1	0.032
1660	0.024
1658/1	0.032
1659/2, 1659/3, 1659/5	0.016
1667/3, 1667/4	0.020
1681/9	0.020
1657/2	0.020
1681/8	0.024
1681/3	0.028
1681/10	0.012
1792/2 क	0.049
1600/2, 1682	0.121
1598	0.045
424/1, 424/2	0.040
427/2	0.036
428/1	0.024
423	0.032
1795	0.024
885/1, 885/2	0.057
422/1	0.040
422/2	0.045
421/1	0.040
421/2	0.045
435	0.081
1800/1, 1801/1	0.198
1803	0.081
1834/1	0.093
1834/2	0.032
1833	0.008
1834/4	0.040
1834/6	0.020
1835/1	0.045
1835/2	0.016
1841/2	0.045
1841/1	0.069
430	0.008
1928/2	0.004
1928/3	0.032
1927/2	0.040
1926/3	0.016
1925/1, 1925/2	0.032
1928/4	0.012
1932/2	0.008
314, 315	0.077
301/1	0.105
299/1	0.028
301/2 क	0.065
302/3 क	0.012
310/2, 312/2	0.077
302/2 क	0.032
302/4	0.016
304	0.049
884/8	0.045
537/1 क	0.024
538, 539/3, 539/4, 539/5, 540/1, 540/2, 554/1, 554/2, 555, 539/1, 539/2	0.162
310/1, 312/1	0.016

(1)	(2)
552, 553	0.028
542/5	0.036
542/2 ख	0.036
504/3, 875/1, 895/2	0.028
504/1	0.036
504/2	0.040
893/2	0.049
893/1	0.012
884/3	0.020
887/2	0.057
809/2	0.065
804	0.016
805	0.142
1001	0.016
890/1	0.016
808/1	0.016
1600/2, 1682/1	0.081
योग 127	4.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माईनर नहर (घुटकु वितरक) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2018

क्रमांक 57/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिचिरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.458 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
327	0.174
326/1	0.150
296/2	0.016
326/2	0.088
325/2	0.081
325/1	0.081
323/2	0.316
322/3	0.348
322/1	0.105
322/4	0.077
316/6	0.117
316/8	0.073
316/21	0.073
316/23	0.057
316/24	0.016
324/1, 324/2	0.012
356/2	0.093
355	0.057
367/2	0.028
367/3	0.085
344/1	0.008
345	0.016
347/2	0.117
347/3	0.113
585/2	0.016
585/3	0.210
598/1	0.028
586/4	0.012
590	0.344
589	0.384
577/1	0.077
576/1	0.016
575	0.158
551/7	0.004
551/9	0.045
551/5	0.004
576/2	0.040
573	0.324
572/2	0.121
572/3	0.008
556/3	0.008
551/4	0.255
559	0.049
553/2	0.065
554	0.105

(1)	(2)
556/4	0.028
550/2	0.061
551/1, 551/11, 551/12, 551/13, 551/14, 551/10	0.429
555	0.138
557/4	0.032
556/1	0.243
556/2	0.154
551/8	0.121
551/6	0.194
549/1	0.591
549/2	0.466
548/3, 548/5	0.081
544	0.364
543	0.101
546	0.057
542	0.162
योग 68	7.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2018

क्रमांक 03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.281 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
186/1	0.040
187/1	0.081
187/2	0.081
188	0.085
178/2	0.028
178/1	0.299
177/1, 2	0.008
196/1	0.097
198/2	0.053
200	0.121
312/1	0.040
312/2	0.041
201/1	0.004
201/11	0.004
310/1	0.012
311	0.049
309	0.012
301/1	0.040
302	0.121
294/2	0.150
293/2	0.065
294/3	0.065
286	0.016
287/2	0.097
281/2	0.101
281/3	0.101
282/2	0.045
281/1	0.032
277/2	0.170
277/3	0.243
282/1	0.020
योग 31	2.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2018

क्रमांक 41/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.034 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283/2 झ	0.057
318	0.045
280/2	0.085
281	0.077
231	0.057
230/1	0.024
241	0.012
230/2	0.024
228	0.040
235/3	0.129
237/1	0.061
240	0.032
233	0.008
279	0.101
322, 325/2	0.020
317	0.065
320	0.089
319	0.016
321/1, 325/1, 328/1, 329/1	0.113
324	0.045
321/2, 325/4, 328/2, 329/2, 321/3, 325/5, 328/3, 329/3	0.024
300/1	0.024
299	0.028
295	0.012
182/1 क	0.081
180	0.004
175/2, 176	0.020
172	0.016
173	0.016
174	0.016
700	0.024
181	0.036
184/2	0.036
184/1	0.077
187/2	0.109
182/2	0.036
182/1 ख	0.024
58/1, 58/7	0.184
106/3, 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 116/2,	0.073
468/1	0.052
471	0.061
106/4, 107/3, 108/3, 109/3, 110/3, 111/3, 112/3, 116/3, 106/5,	0.052

(1)	(2)
107/4, 108/4, 109/4, 110/4, 111/4, 112/4, 116/4	
106/10, 107/9, 108/9, 109/9, 110/9, 111/9, 112/9, 116/9	0.194
61/3, 62/3, 63/3, 64/3, 65/3, 70/3, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3	0.189
80, 81, 82	0.214
58/10	0.045
48/1	0.008
46	0.243
44/2	0.101
61/2, 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 70/2, 71/2, 72/2, 73/2, 74/2	0.117
107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 114/1, 115/1	0.008
865	0.040
863/1	0.142
61/4, 62/4, 63/4, 64/4, 65/4, 70/4, 71/4, 72/4, 74/4	0.129
833/1	0.032
644/1	0.085
644/3	0.085
644/5	0.097
645/1	0.020
651	0.068
652/1	0.065
650/3	0.028
802/2	0.073
652/2	0.020
653/2	0.012
653/3	0.024
654	0.198
653/1	0.008
655/1	0.060
655/2	0.061
785	0.121
802/1	0.077
809/1	0.072
562	0.077
563	0.008
529	0.032
534	0.040
536	0.024
535	0.036
553	0.040
526	0.052
559	0.040
523, 524	0.028
557	0.016
521	0.028
519/12	0.065
519/8	0.089
519/10	0.052
519/3	0.036
495	0.052

	(1)	(2)
	494	0.061
	493/3	0.012
	554	0.008
	702	0.020
	493/2	0.008
	468/2	0.020
	480/1	0.057
	478/1	0.024
	478/2	0.065
	478/3	0.024
	459/1	0.040
	477/1	0.045
	467/1	0.065
	864	0.129
योग	180	6.034

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 मार्च 2018

क्रमांक 16/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.355 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	149/3	0.044
	151/1	0.073
	149/2	0.113
	151/2	0.097
	149/1	0.008
	148/9 क	0.020
योग	06	0.355

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत आमापाली माईनर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 मार्च 2018

क्रमांक 23/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-आमापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.415 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
456	0.012
464/1	0.016
464/5	0.024
453	0.036
464/2	0.040
464/6	0.049

	(1)	(2)
	446	0.081
	464/3	0.012
	464/7	0.040
	447	0.069
	464/4	0.036
	412	0.024
योग	12	0.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत आमापाली माईनर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

क्रमांक 02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लिंजिर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.120 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	592/1	0.120
योग	01	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत केलो मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मार्च 2018

क्रमांक 26/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-केनसरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1066/3	0.061
	1059/2 ग/4, 1059/2 ग/5	0.202
	1051/2 क	0.089
	1070/2 क	0.028
	1047/3	0.048
	1066/5	0.066
	1047/4	0.053
	1066/4 क	0.137
	1048/2	0.036
योग	09	0.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत केलो मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 अप्रैल 2018

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-बेलपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.455 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	7/1 क	0.073
	7/4	0.006
	7/2	0.146
	7/3	0.032
	27/35	0.014
	27/2	0.184
योग	6	0.455

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत डूमरपाली माईनर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2018

प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-कुंजेडबरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	161/2	0.008
	189/2	0.061
	162/1	0.052
	187/1	0.085
	180/2	0.024
	173/3	0.057
	173/4	0.008
	167/2	0.028
	168	0.004
	173/1	0.032
	189/8	0.053
	189/6	0.024
	176	0.016
	180/1	0.045
	181	0.107
	269	0.006
	271	0.061
	200/6	0.024
	273	0.006
	199	0.129
	189/4	0.043
	162/2	0.049
	167/1	0.041
योग	23	0.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत डूमरपाली माईनर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 882/13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	632/2	0.081
योग	01	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तिउर माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 883/14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बेन्दोझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	111	0.008
योग	01	0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेन्दोझरिया माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 884/12/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पलगढ़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	149/1, 151/1, 152/1, 153/1	0.032
	136/1, 139	0.040
	138/1	0.008
योग	03	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरकामगोढ़ी माइनर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन संजय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.)

कोरिया, दिनांक 29 दिसम्बर 2017

क्रमांक/1482/वि.यो./नग्रानि/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में बैकुण्ठपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक .... बैकुण्ठपुर, दिनांक .... द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरिया द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बैकुण्ठपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बैकुण्ठपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम तलवापारा, रामपुर एवं जनकपुर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम जनकपुर, भांडी एवं कंचनपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम कंचनपुर, जामपारा, केनापारा, जूनापारा एवं चेर ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम चेर, सागरपुर, हर्रापारा एवं तलवापारा ग्रामों की पश्चिम सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्ट्रेट परिसर, रूम नं. 108, 109, 110, 101, बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया छ.ग.

No. 1482/वि.यो./नग्रानि/2017.—The existing land use map and register for the Baikunthpur Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. .... Baikunthpur date ....

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing land use map and register of Baikunthpur Planning Area, Existing Land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning, Korea. under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett. Under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limits of Baikunthpur Planning Area

NORTH	:	Village Talwapara, Rampur & Janakpur Northern Limits of Villages.
EAST	:	Village Janakpur, Bhandi & Kanchanpur Eastern Limits of Villages.
SOUTH	:	Village Kanchanpur, Jampara, Kenapara, Junapara & Cher Southern limit of Villages.
WEST	:	Village Cher, Sagarpur, Harrapara & Talwapara Western limits of Villages.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours, for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Collectorate Parisar, Room No. 108, 109, 110, 101 Baikunthpur, Dist.-Korea (C.G.).

एस. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2018

क्रमांक 285/दो-3-3/2011.—श्री रजनीश श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-04-2018 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2018

क्रमांक 286/दो-3-35/2011.—श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 12-04-2018 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.